संख्या 2728 / 1–10–2008–12(73) / 2008

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा, हमीरपुर, महोबा एवं झाँसी।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊ दिनांक 29 मई, 2008

विषयः– प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में तात्कालिक पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल, बांदा के पत्रांक संख्या–कैम्प–लखनऊ–1 दिनांक 12 मई, 2008 पर नगर विकास अनुभाग–5 की पत्रावली संख्या–119–सा / 08 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय राहत आपदा समिति की बैठक दिनांक 21 मई 2008 मे लिए गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007–08 में सूखे से प्रभावित जनपदों में तात्कालिक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 4,92,24,000 / – (रूपये चार करोड बानब्बे लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि **निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन** सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0	जनपद		प्रस्तावित कार्य	मात्रा	धनराशि (लाख रू0 में)
1.	बाँदा	1.	पाइप लाइन जीर्णोद्वार, गला पाइप बदलना, अवर जलाशयों की मरम्मत।	55 गांव	80.78
		2.	08 नगरीय क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क–II के हैण्डपम्पों की सामान्य / वृहद मरम्मत का कार्य।	1379	15.14
		3.	08 नगरीय क्षेत्रों में ट्रैक्टर–टैंकरों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था कार्य।	08	16.21
				योग	112.13

C/Manoj/Allot-08(2)

2.	हमीरपुर	1.	नगरीय क्षेत्रों के हैण्डपम्पों की सामान्य मरम्मत एवं विशेष मरम्मत।	1563	8.75
		2.	नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन मरम्मत/गला पाइप बदलना।	30.55 कि0मी0	82.21
		3.	टैंकरों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति।	–	3.87
		4.	ग्रामीण क्षेत्रों में अवर जलाशय की मरम्मत(ऊगरी ग्राम समूह पेयजल योजना)।	01	1.00
				योग	95.83
3.	महोबा	1.	सामान्य नगरीय क्षेत्रों में टैंकर, मोटराइज्ड टैंकर, ड्रम आदि संसाधनों द्वारा पेयजलापूर्ति।	-	50.00
		2.	नगरीय क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों की सामान्य/बृहद मरम्मत।	1202	11.06
		3.	नगरीय क्षेत्रों के नलकूपों का जल स्तर गिरने पर हाईहेड पंपिंग प्लान्ट, कालम पाइप आदि की व्यवस्था किया जाना।	28	28.00
		4.	नगरीय क्षेत्रों में जीर्ण– शीर्ण पाइप लाइन बदलना एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में पाइप लाइन विस्तार।	10 कि0मी0	20.00
		5.	प्राचीन कुआं में सफाई उपरान्त इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प स्थापित करने का कार्य।	–	18.00
				योग	127.06
4.	झाँसी	1.	नगर निगम झाँसी द्वारा उपयोग में आ रहे कुओं की सफाई।	50	22.50
		2.	अतिक्रमणग्रस्त एवं क्षतिग्रस्त कुओं की सफाई व आंशिक मरम्मत।	50	49.75
		3.	13 नगरीय कुओं में टैंकर संचालन हेतु ।	–	57.59
		4.	13 नगरीय इकाईयों में हैण्डपम्प मरम्मत।	–	27.38
				योग	157.22
				कुल योग	492-24

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय –42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में पेयजल पाइप लाइनों के जीर्णोद्धार/गला पाइप बदलने, अवर जलाशयों की मरम्मत के सम्बन्ध में धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व **मंडलायुक्त**

जल निगम के मण्डलीय अधिकारियों से ऐसे सभी हैण्ड पम्पों का सर्वेक्षण कराने के पश्चात संख्या का निर्धारण करते हुए विस्तृत कार्य योजना के आगणन का जिला स्तरीय तकनीकी समिति से परीक्षण कराने के उपरान्त ही विभाग को धनराशि अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाय।

4. नगरीय क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क–II के हैण्डपम्पों की सामान्य / बृहद मरम्मत का कार्य किया जाना है, सर्वेक्षण कराकर सामान्य मरम्मत वाले हैण्डपम्प तथा बृहद मरम्मत वाले हैण्डपम्प की संख्या एवं स्थल निर्धारित एवं चिन्हित करने के उपरान्त ही धनराशि विभाग को अवमुक्त की जाय।

5. ग्रामीण / नगरीय क्षेत्रों में टैंकर तथा ट्रैक्टर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु **मंडलायुक्त** इनकी संख्या का निर्धारण सुनिश्चित करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के उपरान्त ही विभाग को धनराशि अवमुक्त किया जाय।

6. ग्रामीण / नगरीय क्षेत्रों में टैंकर, मोटराइज्ड टैंकर, ड्रम आदि संसाधनों द्वारा पेयजलापूर्ति हेतु **मंडलायुक्त** इनकी संख्या का निर्धारण सुनिश्चित करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के उपरान्त ही विभाग को धनराशि अवमुक्त किया जाय।

7. नगरीय क्षेत्रों में नलकूपों का जलस्तर गिरने पर हाइड्रेंड पम्पिंग प्लान्ट, कालम पाइप इत्यादि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय तकनीकी समिति से सर्वेक्षण कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य को कराये जाने पर पेयजल उपलब्ध होने की प्रबल सम्भावना है। प्रबन्ध निदेशक जल निगम इसका तकनीकी परीक्षण करते हुए तत्काल सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा राहत आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अपनी आख्या उपलब्ध करायेंगें।

8. पेयजल के उपयोग में आ रहे कुओं तथा अतिक्रमणग्रस्त एवं क्षतिग्रस्त कुओं की सफाई व आंशिक मरम्मत हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व इसका विस्तृत आगणन जिला स्तरीय तकनीकी समिति से स्वीकृत कराकर कार्य प्रारम्भ किया जाय. इसमें सफलता प्राप्त होने की विस्तृत सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

9. ग्रामीण / नगरीय क्षेत्रों में टैंकर तथा ट्रैक्टर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग पेट्रोल / डीजल इत्यादि मद में कदापि न किया जाय।

10. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में सूखे से प्रभावित जनपदों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

C/Manoj/Allot-08(2)

11. आपदा राहत निधि की धनराशि से तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य पेयजल योजना हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

12. **मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से जॉच टीम गठित करेंगे** तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जॉच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय।

13. सम्बन्धित जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई हो।

14. शासन द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप उक्त आवंटित धनराशि वित्त विभाग की मॉग पर जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करते हुये आहरित की जायेगी कि आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग **दिनांक 30 जून, 2008 तक** अनिवार्य रूप से हो जाय।

15. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

16. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशो के अधीन किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

17. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या –1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा

आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

18. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड –5 भाग –1 के प्रस्तर –369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

19. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

([redacted] क0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या– 2928 (1)/1–10–2008–12(73)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, झाँसी एवं चित्रकूट धाम।
3. प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, बांदा, हमीरपुर, महोबा एवं झाँसी।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11/राहत आयुक्त की वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव